दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

159

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

सचिन पिता रामेश्वर यादव , निग -3554 - II-16

निबासी— सागर नाका खुरई , तह0 खुरई, जिला सागर

.............आवेदक

वनाम

1— श्रीमति तारा पत्नि बाबूलाल यादव,

निबासी देवरी, तह0 देवरी जिला सागर

2— श्रीमति शोभारानी पत्नि स्व0 कंछेदी लाल यादव

3— राजेश 4— कैलाश दोंनों बल्द स्व0 कंछेदी यादव,

तीनों निबासी खुरई, तह0 खुरई, जिला सागर

5— श्रीमति प्रभा पत्नी उमाशंकर यादव, (फौत) , वरिसान

अ— शैलेन्द्र ब— हृदेश स— रेखा

द— सोना, समस्त अ से द— तनय उमाशंकर यादव ,

निबासी— मकरोनिया सागर, तह0 एवं जिला सागर

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी महोदय खुरई, जिला सागर द्वारा प्र0क0 127/अ—67/2015—16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27/09/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है ।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि आवेदक द्वारा जरिये बिक्रय पत्र के दिनांक 27/06/2016 को ग्राम खुरई, स्थित भूमि खसरा नंबर 341/1/ख

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०-142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

जिला सागर

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3554-एक/2016

सचिन विरूद्ध तारा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
15-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 127/अ-67/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 15.3.19	